

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-6 /2012/  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /07/2012

- (1) संभागीय संयुक्त संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा (म.प्र.)
- (2) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
मध्यप्रदेश
- (3) समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
मध्यप्रदेश
- (4) अधीक्षक,  
जनसेवा रूग्णालय इटारसी, रानी दुर्गावर्ती चिकित्सालय जबलपुर,  
के.एन. काटजू चिकित्सालय भोपाल, सिविल अस्पताल बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.)

विषय:-जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नर्सिंग होम्स में Cradle Points  
(पालना केन्द्र) व्यवस्था करने के संबंध में।

संदर्भ:-शासन के पत्र क्रमांक 1509/2012/17/मेडि-2 दिनांक 17.07.2012

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में शासन ने निराश्रित एवं उपेक्षित शिशुओं को  
समुचित सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाकर उपयुक्त परिवार को गोद दिये जाने सम्बंधित  
शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न  
प्रेषित है।

अतः आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं/नर्सिंग होम में Cradle Points (पालना केन्द्र)  
की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।


संलग्न:-शासन के दिशा-निर्देशों की छायाप्रति।

॥  
(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)  
संचालक चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4/08/2012

पृ.क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-6/2012/ 713  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,  
भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में।
2. समस्त जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश।
3. श्री थामस, कम्प्यूटर कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर-इसको विभागीय वेब  
साइट पर प्रदर्शित करें।
4. आदेश फाइल।

  
संचालक चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

1509  
क्रमांक/2012/195-2

भोपाल, दिनांक 17-07-12

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,  
म.प्र.शासन।

विषय:- जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नर्सिंग होम्स में Cradle points की व्यवस्था करने के संबंध में।

—00—

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत निराश्रित एवं उपेक्षित शिशुओं को निःसंतान दम्पतियों को गोद दिये जाने हेतु जिलो में Specialized Adoption Agency(SAA) संचालित है, जो "Cradle Baby Reception Centre" के रूप में कार्य कर रही है, ताकि उपेक्षित एवं निराश्रित शिशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें किसी परिवार को गोद दिया जा सके। उक्त योजनान्तर्गत जिलो में जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नर्सिंग होम्स में Cradle points (पालना केन्द्र) की स्थापना की जाना है, जो जिले के Cradle Reception Centres से Linked रहेंगे। इन Cradle points द्वारा निराश्रित शिशुओं के प्राप्त होने पर उन शिशुओं के संबंध में पुलिस को सूचित किया जायेगा तथा शिशुओं को Cradle Reception Centres पहुंचने तक शिशुओं को उचित संरक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि शिशुओं को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो सके।

तत्संबंध में योजना की जानकारी निम्नानुसार है:-

- " District child protection society (DCPS, WCD) shall nominate one SAA in the district as the Cradle Baby Reception Centre. This Reception Centre shall be run by the SAA from its premises and shall be equipped with all basic facilities for infants. The primary objective of these Reception Centres shall be to rescue the abandoned children and look after them with due care and affection till he/she is given in adoption. Each SAA shall install one Cradle at the doorstep to receive such babies. Besides SAA, Cradle points to receive babies will also be placed at all the Primary Health Care Centres (PHCs), Hospitals/Nursing Homes, Short-stay homes, Swadhar units/ Swadhar Reception Centre and the office of the DCPS, which would serve as the Cradle points. "

निरंतर-2  
563

कृपया आपके जिले में संचालित समस्त शासकीय चिकित्सालयों, Primary Health Care Centres (PHCs), एवं Nursing Homes, को Cradle points की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि निराश्रित शिशुओं को समुचित सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें उपयुक्त परिवारों को गोद दिये जाने की कार्यवाही की जा सके।

कृपया इसको प्राथमिकता देवे।



(प्रवीर कृष्ण)  
प्रमुख सचिव,  
म.प्र. शासन

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक 17-7-12

पृ.क./मबावि/12/ICPS/1510/12/17के-2  
प्रतिलिपि :-

1. ✓ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।
2. ✓ समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रमुख सचिव,  
म.प्र. शासन

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग